यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार (कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादराबाद एवं रुड़की सहित)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार** के माह 09/2017 से 12/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.01.2021 से 25.01.2021तक श्री एस.के. जौहरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>- I

1). परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखापरीक्षा में माह 07/2013 से 08/2017 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री यस. यस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 11.09.2017 से 24.09.2017 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या- AIR-39/ 2017-18 जारी की गई थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः किसानों की जरूरतों का ख्याल रखते हुये उन्हे जरूरी दिशा एवं जरूरी मदद दिया जाता है। किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित हैं। अच्छी किस्म की फसलें उगाने के लिए किसानो को प्रशिक्षण के साथ साथ जरूरी बीज एवं संसाधन मुहैया कराया जाता है। भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण हरिद्वार जनपद आच्छादित है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार इकाई की बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति:- स्थापना एवं जिला योजना:-

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अंतिम अवशेष
2017-18	0	208.55	206.76	1.79
2018-19	0	249.23	249.15	0.08
2019-20	0	10.93	10.71	0.22
2020-21, माह 12/2020 तक	0	6.76	5.44	1.32

N.B.- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान अवशेष धनराशियों को समर्पित कर दिया जाता है।

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं: ---लागू नही---

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार इकाई की बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति:- नमामि गंगे योजना:-

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आवंटन	अन्य स्रोतों से प्राप्त	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	0	0	0	0	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	0
2019-20	0	0	0	0	0	0
2020-21, माह 12/2020 तक	0	832.00	0	832.00	111.74	720.26

परम्परागत कृषि विकास योजना:-

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आवंटन	अन्य स्रोतों से प्राप्त	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	0	0	0	0	0	0
2018-19	0	170.27	0	170.27	143.01	27.26
2019-20	0	99.50	0	99.50	43.72	55.78
2020-21, माह 12/2020 तक	0	0	0	0	0	0

आत्मा योजना:-

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आवंटन	अन्य स्रोतों से प्राप्त	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	22.90	62.44	0.47	85.81	56.35	29.46
2018-19	29.46	60.87	1.35	91.68	64.46	27.22
2019-20	27.22	79.66	1.53	108.41	66.46	41.95
2020-21, माह 12/2020 तक	41.95	30.17	0.85	72.97	57.14	15.83

श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना:-

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आवंटन	अन्य स्रोतों से प्राप्त	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	0	5.00	0	5.00	5.00	0
2018-19	0	30.00	0	30.00	25.32	4.68
2019-20	4.68	0	0	4.68	0	4.68
2020-21, माह 12/2020 तक	4.68	0	0	4.68	4.68	0

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:-

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आवंटन	अन्य स्रोतों से प्राप्त	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	0	55.40	0	55.40	55.40	0
2018-19	0	66.27	0	66.27	66.27	0
2019-20	0	18.89	0	18.89	12.49	6.38
2020-21, माह 12/2020 तक	6.38	4.57	0	10.95	2.15	8.80

iii). इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मुख्यालय द्वारा इकाई 'सी' श्रेणी में लिया गया है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन

।

निदेशक, कृषि निदेशालय, प्रेमनगर, देहरादून

।

अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

।

मुख्य कृषि अधिकारी

।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी

।

सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-I (प्रभारी विकास खण्ड)

।

सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-II (प्रभारी न्याय पंचायत)

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 09/2017 से 12/2020 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार (कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादराबाद एवं रुड़की सहित) के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन इकाई की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 11/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 अ

प्रस्तर 01- सबमिशन कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत रु.12.18 लाख का अधिक भुगतान किए जाने के परिणामस्वरूप वांछित वसूली ।

भारत सरकार की सबमिशन कृषि यंत्रीकरण योजना (Submission on Agriculture Mechanization) के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को कस्टम हाईरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी । इस योजना हेतु स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाना था । कस्टम हाईरिंग सेंटर मद के अंतर्गत कोई भी स्वयं सहायता समूह 10.00 लाख रुपये मूल्य के कृषि यंत्र क्रय कर सकता था जिस पर कृषि यंत्रों के वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम रु.4.00 लाख (जो भी कम हो) का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी । कृषि निदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशा –निर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि क्रय किए गए यंत्रों पर अनुदान की अधिकतम धनराशि वही रहेगी जो SMAM की गाइड लाइन / शासन द्वारा इस मद पर अधिकतम धनराशि का आदेश निर्गत कर निर्धारित किया गया है । किसी भी यंत्र पर देय अनुदान की धनराशि, अधिकतम तय सीमा से अधिक, नहीं होगा । **मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार** के अंतर्गत दो क्रियान्वयन इकाइयों कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बाहदराबाद विकासखंड एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की विकासखंड के अंतर्गत इस योजना में धनराशि व्यय की गयी थी अतः उक्त दोनों क्रियान्वयन इकाइयों के नमूना स्वरूप वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के अंतर्गत इस योजना के अभिलेखों की जांच में निम्न तथ्य संज्ञान में आए –

1- **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बाहदराबाद विकासखंड** के अभिलेखों की जांच के अंतर्गत पाया गया कि निदेशालय द्वारा उक्त वर्ष हेतु स्वीकृत कार्ययोजना में अनुदान दिये जाने वाले यंत्रों की सूची तथा विभिन्न कृषि यंत्रों पर यंत्र विशेष हेतु अनुदान की अधिकतम धनराशि निर्धारित की गयी थी अर्थात कस्टम हाईरिंग सेंटर मद के अंतर्गत किसी भी स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्तुत बिल के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि प्रस्तुत बिल के अंतर्गत प्रदर्शित राशि का 40% भुगतान तो उस समूह को किया जाए परंतु उस बिल में सम्मालित किसी भी कृषि यंत्र विशेष हेतु दिया जाने वाला अनुदान उस कृषि यंत्र हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि के अंतर्गत ही हो । परंतु इकाई द्वारा इस तथ्य का संज्ञान न लेते हुए प्रस्तुत बिलों की धनराशि का सीधा 40% भुगतान स्वयं सहायता समूह को किया गया जिस कारण निम्न तालिका में वर्णित कृषि यत्रों पर अधिक भुगतान किया गया । साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत वॉटर लिफ्ट पम्प अनुदान हेतु सूची में सम्मलित नहीं किया गया था परंतु इकाई द्वारा इस तथ्य को भी नजरंदाज कर, उसपर भी अनुदान देकर निम्नवत अधिक भुगतान किया गया

-

वित्तीय वर्ष	स्वयं सहायता समूह का नाम	क्रय किए गए यंत्र का नाम	स्वीकृत अनुदानित मूल्य	अनुदानित धनराशि	अधिक भुगतानित राशि
2018-19	राधा स्वामी स्वयं सहायता समूह	थ्रेशर ट्रैक्टर	25000 125000	53760 224000	28760 99000
	संत रविदास स्वयं सहायता समूह	ट्रैक्टर थ्रेशर	125000 25000	213440 67200	88440 42200
	लक्ष्मण कृषि विकास समिति	ट्रैक्टर	125000	216096	91096
	ग्रामीण जैविक उत्पादक स्वयं सहायता समूह	ट्रैक्टर लेजर लेंड लेवेलर	125000 63000	191141 140000	66141 77000
	शिव स्वयं सहायता समूह	ट्रैक्टर लेजर लेंड लेवेलर	125000 63000	266000 134000	141000 71000
	ज्योति स्वयं सहायता समूह	ट्रैक्टर थ्रेशर पावर वीडर	125000 25000 19000	184304 66080 67200	59304 41080 48200
2019-20	किसान कृषि उत्पादक एवं विपरण सहकारिता समिति	पावर बीडर	25000	60000	35000
	आदर्श कृषि उत्पादन स्वयं सहायता समूह	पावर बीडर	25000	49280	24280
	शर्मा कृषक कृषि उत्पादक एवं विपरण सहकारिता समिति *****	वॉटर लिफ्ट पम्प	सूचीबद्ध नहीं	---	15232*****
	नवाज़ कृषि उत्पादक एवं विपरण सहकारिता समिति *****	वॉटर लिफ्ट पम्प	सूचीबद्ध नहीं	---	17491*****
कुल अधिक भुगतान					**9,45,224**

इसी प्रकार निदेशालय द्वारा अपने पत्रांक 2727/2018-19 दिनांक 22 अगस्त 2019 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि यदि एक से अधिक यंत्र क्रय किए जाने का प्रस्ताव है तो समूह के प्रस्ताव को स्वीकृत हेतु निदेशालय को प्रेषित किया जाए परंतु निमन्वत स्वयं सहायता समूहों को विना निदेशालय की स्वीकृति के एक से अधिक कृषि यंत्रो की खरीद पर अनुदान देकर अधिक भुगतान किया गया -

स्वयं सहायता समूह का नाम	कृषि यंत्र /संख्या	अनुदान	अधिक भुगतान
संत रविदास स्वयं सहायता समूह	रोटावेटर-2	44000+44000	44000
लक्ष्मण कृषि विकास समिति	रोटावेटर-2 हेरो-3 टिलर-3	39200+39200 15456+15456+15456 8064+8064+8064	39200 15456+15456 8064+8064
राधा स्वामी स्वयं सहायता समूह	ट्रैक्टर स्प्रेयर-2	17024+17024	17024
अधिक भुगतान			1,30,240

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि योजना के अंतर्गत अधिकतम 10.00 लाख के कृषि यंत्रों के क्रय पर मूल्य का 40% या अधिकतम 4.00 लाख रुपये की धनराशि का अनुदान दिये जाने के निर्देशों के क्रम में उक्त भुगतान किए गए हैं । लेखापरीक्षा द्वारा की गयी आपत्ति पर निदेशालय एवं उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श कर कार्येवाही की जाएगी । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर निदेशालय द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके है ,इकाई द्वारा लापरवाहीवश उनका पालन नहीं किया गया । इस प्रकार इकाई द्वारा रु.10,75,464/-का अधिक भुगतान किया गया ।

2- **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की विकासखंड** के अभिलेखों की जांच के अंतर्गत पाया गया कि निदेशालय द्वारा उक्त वर्ष हेतु स्वीकृत कार्ययोजना में अनुदान दिये जाने वाले यंत्रों की सूची तथा विभिन्न कृषि यंत्रों पर यंत्र विशेष हेतु अनुदान की अधिकतम धनराशि निर्धारित की गयी थी अर्थात कस्टम हाईरिंग सेंटर मद के अंतर्गत किसी

भी स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्तुत बिल के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि प्रस्तुत बिल के अंतर्गत प्रदर्शित राशि का 40% भुगतान तो उस समूह को किया जाए परंतु उस बिल में सम्मालित किसी भी कृषि यंत्र विशेष हेतु दिया जाने वाला अनुदान उस कृषि यंत्र हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि के अंतर्गत ही हो । परंतु इकाई द्वारा इस तथ्य का संज्ञान न लेते हुए प्रस्तुत बिलों की धनराशि का सीधा 40% भुगतान स्वयं सहायता समूह को किया गया जिस कारण निम्न तालिका में वर्णित कृषि यत्रों पर अधिक भुगतान किया गया ।

त्तीय वर्ष	**स्वयं सहायता समूह का नाम**	**क्रय किए गए यंत्र का नाम**	**स्वीकृत अनुदानित मूल्य**	**अनुदानित धनराशि**	**अधिक भुगतनित राशि**
018-19	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	लेजर लैंड लेवेलर	63000	120000	57000
	ओम स्वयं सहायता समूह	ट्रैक्टर	125000	190400	65400
019-20	ख़्वाजा गरीब नवाज़ स्वयं सहायता समूह	पावर बीडर	35000	56000	21000
कुल धनराशि					**1,43,000**

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि योजना के अंतर्गत अधिकतम 10.00 लाख के कृषि यंत्रों के क्रय पर मूल्य का 40% या अधिकतम 4.00 लाख रुपये की धनराशि का अनुदान दिये जाने के निर्देश थे, इस क्रम में उक्त भुगतान किए गए हैं । लेखापरीक्षा द्वारा की गयी आपत्ति पर निदेशालय एवं उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श कर कार्येवाही की जाएगी । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर निदेशालय द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके है ,इकाई द्वारा लापरवाहीवश उनका पालन नहीं किया गया । इस प्रकार इकाई द्वारा रु.1,43,000/-का अधिक भुगतान किया गया ।

इस प्रकार सबमिशन कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत इकाई की लापरवाहीवश रु.12,18,464/-का अधिक भुगतान किए जाने के परिणामस्वरूप वांछित वसूली किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग - 2 "अ"

<u>प्रस्तरः02 :-</u> रु0 64.52 लाख की धनराशि का अवरोधन।

(a) कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की में संचालित भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप)एम0आई0 के वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के लेखा-अभिलेखों की विस्तृत जाँच में पाया गया कि कृषि निदेशालय, उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक उपरोक्त योजना की कार्ययोजना के सापेक्ष रु0 4051918/- का आबंटन किसानों को खेतों में फसलों के सिंचाई हेतु उपकरण क्रय करने हेतु अनुदान के रूप में दिये जाने हेतु इकाई को किया गया था परंतु इकाई द्वारा योजना का कार्यान्वयन न कर इस धनराशि को विगत चार वर्षों से बैंक खाते में जमा कर अवरुद्ध रखा गया था ।जिसका विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	कुल धनराशि	व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	0.00	126962.00	126962.00	0.00	126962.00
2018-19	126962.00	2697956.00	2824918.00	0.00	2824918.00
2019-20	2824918.00	1227000.00	4051918.00	0.00	4051918.00
2020-21(upto12/20)	4051918.00	0	4051918.000	0.00	4051918.00
कुल					4051918.00

उपरोक्त तालिका के अनुसार ये यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय द्वारा पी.एम.एस.के.वाई. योजना में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक आबंटित राशि रु0 40.52 लाख के सापेक्ष शून्य व्यय किया गया जिससे एक तरफ ना सिर्फ योजना की कार्ययोजना के लक्ष्य अप्राप्त रहे वहीं दूसरी तरफकिसानों को योजना के अंतर्गत लाभ लेने से भी वंचित रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि उपरोक्त योजना की मांग कृषकों के मध्य न होने के कारण उपलब्ध धनराशि व्यय नहीं की जा सकी एवं प्राप्त धनराशि को व्यय करने हेतु कृषकों से बात करके योजना के लाभों के बारे में बताया जायेगा।इकाईकाउत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है क्योकि इकाई द्वारावर्ष वार जारी कार्ययोजना के अनुसार प्राप्तबजट का किसानों को लाभ देने हेतु कृषकों के मध्य पूर्ण प्रचार-प्रसार नहीं किया गया जिस कारण से किसानों द्वारा योजना का लाभ लेने में रुचि नहीं दिखाई गयी।

(b) कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,बहादराबाद, हरिद्वार में संचालितभारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप)एम0आई0 के वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के लेखा-अभिलेखों की विस्तृत जाँच में पाया गया कि कृषि निदेशालय, उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक उपरोक्त योजना की कार्य योजना के सापेक्ष रु0 3758918/- का आबंटन किसानों के खेतों में फसलों की सिंचाई हेतु उपकरण क्रय करने हेतु अनुदान के रूप में दिये जाने हेतु इकाई को किया गया था परंतु इकाई द्वारा योजना का कार्यान्वयन 2017-18 एवं 2018-19 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष शून्य धनराशि व्यय की गयी तथा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कुल रु013.67 लाख का ही व्यय किया गया।जिसका विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	कुल धनराशि	व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	126962.00	126962.00	126962.00	-	126962.00
2018-19	126962.00	2697956.00	2824918.00	-	2824818.00
2019-20	2824918.00	934000.00	3758918.00	1367248.00	2391670.00
2020-21	2391670.00	-	-	-	2391670.00
कुल					2391670.00

उपरोक्त तालिका के अनुसार ये यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय द्वारा पी.एम.एस.के.वाई. योजना में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक आबंटित राशि रु0 37.59 लाख के सापेक्ष कुल रु0 13.67 लाख का ही व्यय किया गया तथा रु0 24.00 लाख की धनराशि को विगत चार वर्षों से बैंक खाते में अवरुद्ध रखा गया जिस कारण एक तरफ ना सिर्फ योजना की कार्ययोजना के लक्ष्य अप्राप्त रहे वहीं दूसरी तरफकिसानों को योजना के अंतर्गत लाभ लेने से भी वंचित रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादराबाद, हरिद्वार ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि उक्त योजना में अनुदान की सीमा 55 प्रतिशत है जिस कारण कृषकों द्वारा योजना का लाभ लेने में रुचि नहीं ली जाती है तथा इस संबंध में अनुदान की सीमा बढ़ाने हेतु निदेशालय को अवगत कराया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारावर्ष वार जारी कार्ययोजना के अनुसार प्राप्त बजट का किसानों को लाभ देने हेतु कृषकों के मध्य पूर्ण प्रचार-प्रसार नहीं किया गया था तथा योजना के अंतर्गत अनुदान की सीमा बढ़ाए जाने से संबन्धित निदेशालय को भेजे गए पत्र/अभिलेख भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण से किसानों द्वारा योजना का लाभ लेने में रुचि नहीं दिखाई गयी।

अतः उक्त दोनों इकाइयों की उदासीनता के कारण रु0 64.52 लाख की धनराशि को बैंक खातों में अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 2'ब'

<u>प्रस्तर-01:-</u> शासनादेश का उलंघन करते हुये विभिन्न खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि रु 60.77 लाख का राजकोष मे जमा न कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 126/ (1)/ xxvii (6)- T.C.A. 934- 2014 दिनांक 21.04.2017 (वित्त अनुभाग- 6) के अनुसार- "वित्त विभाग द्वारा समस्त प्रशासकीय विभागों को विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि कुछ विभागों द्वारा अपने बैंक खाते खोले गए हैं। प्रशासकीय विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न करते हुये प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक घोर वित्तीय अनियमितता है। निर्देश है कि जितने भी बैंक खाते हैं, उन खातों में अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुये तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराई जाय। उक्त धनराशि को जमा कराने की विभागाध्यक्ष की ब्यक्तिगत ज़िम्मेदारी रहेगी"।

A). इकाई मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार की लेखा अभिलेखों में पाया गया कि कार्यालयीन कार्यों हेतु 10 बचत बैंक खाते एवं 01 चालू खाते में कुल अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 4,96,635/- पाई गई (विवरण संलग्नक- A). उक्त अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 4,96,635/- इकाई में अवरुद्ध पायी गई। साथ ही, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि इकाई में संचालित उक्त एक चालू खाता संख्या- 1333 0021 0000 3578 (पीएनबी, रोशनबाद, हरिद्वार) प्रारम्भिक अवशेष (opening balance) धनराशि रु 3,60,000/- दिनांक 18.04.2015 से सक्रिय (active) था। इस चालू खाते में वर्तमान में (31.12.2020) कुल धनराशि रु 16,25,645/- उपलब्ध पाई गई। उपलब्ध अभिलेखों एवं इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इसके अतिरिक्त अन्य बैंक खाते सभी खाते बचत खाते हैं, जिन पर समय समय पर बैंक द्वारा नियमानुसार ब्याज क्रेडिट होती रहती है, परंतु चालू खाते पर ब्याज शून्य क्रेडिट होती है। इस प्रकार वर्तमान के उपलब्ध धनराशि के अनुसार, रु 16,25,645 x 3.00 प्रतिशत p.a. = रु 48,769/- वार्षिक ब्याज के रूप में विभाग/सरकार को क्षति हो रही थी। उक्त करेंट अकाउंट में ब्याज दर शून्य है, यदि बचत खाता खोला जाता तो वर्तमान ब्याज दर 3.00 प्रतिशत प्राप्त होता। इस प्रकार धनराशि रु 16,25,635/- पर वार्षिक दर से रु 48,769/- ब्याज के रूप विभाग/ सरकार को क्षति हो रही थी। इस चालू खाते को बचत खाते में परिवर्तित किए जाने हेतु इकाई द्वारा लगभग 06 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कोई प्रयास नहीं किए जाने से इकाई की उदासीनता से भी इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि "कृषि निदेशालय देहरादून से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाएगी" साथ ही संचालित चालू खाते के सम्बन्ध में मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार ने उत्तर दिया कि "अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशालय से पत्राचार कर खाता बन्द कर बचत खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा"। इकाई का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है।

B), इकाई कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादराबाद, हरिद्वार की लेखा अभिलेखों में पाया गया कि कार्यालयीन कार्यों हेतु 05 बचत बैंक खातों में कुल अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 33,81,483/- पाई गई (विवरण संलग्नक- B) उक्त अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 33,81,483/- इकाई में अवरुद्ध पायी गई। साथ ही, इस अवरुद्ध धनराशि के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु कोई प्रयास नहीं किए जाने से इकाई की उदासीनता से भी इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादराबाद, हरिद्वार ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि "कृषि निदेशालय देहरादून से निर्देश प्राप्त कर इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी"। इकाई का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है।

C). इकाई कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की की लेखा अभिलेखों में पाया गया कि कार्यालयीन कार्यों हेतु संचालित 07 बचत बैंक खातों में अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 21,98,711/- पाई गई (विवरण संलग्नक- C). उक्त अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 21,98,711/- इकाई में अवरुद्ध पायी गई। साथ ही, इस अवरुद्ध धनराशि के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु कोई प्रयास नहीं किए जाने से इकाई की उदासीनता से भी इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि "कृषि निदेशालय देहरादून से निर्देश प्राप्त कर इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी"। इकाई का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है।

अतः शासनादेश का उलंघन करते हुये उक्त तीनों इकाइयों द्वारा विभिन्न खातों में अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 60,76,829/- (4,96,635 +33,81,483 + 21,98,711) का राजकोष मे जमा न कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक- A

बैंक खाते का विवरण:-

CAO, Haridwar

S. N.	Name of the bank	Account Number	Account type (saving or current)	Balance as on 31.12.2020	Total interest earned (upto 31.12.2020) Rs	Purpose to open the Account
1	SBI Vikas Bhawan, Roshnabad, HW	3034 0761 044	saving	1260384	180390	ATMA, Beej Gram Yojna
2	Allahaabad bank, BHEL, HW	5047 0938 979	saving	8945014	135349	Paramparagat (PKY)
3	PNB, Roshnabad, HW	1333 0001 0037 0816	saving	72026263	0	Namami Gange
4	PNB Roshnabad, HW	1333 0001 0033 5157	saving	45580	45580	Shyaama Prasad Mukharji
5	Allahabad Bank, BHEL, HW	5033 7606 529	Saving	214955	14009	PMKSY
6	SBI Vikas Bhawan, Roshnabad, HW	1123 1236 341	saving	1528270	33023	Aapada, Mrida, NFSM
7	PNB Roshnabad, HW	1333 0001 0036 7973	saving	291978	96	PM KiSAN
8	Allahabad Bank BHEL, HW	5030 8461 199	saving	191246	10672	NMSA
9	Allahabad Bank BHEL, HW	5032 4139 057	saving	154092	3111	Misc
10	PNB Roshnabad, HW	1333 0001 0036 1526	saving	1167324	74405	Mrida svasthya card
11	PNB Roshnabad, HW	1333 0021 0000 3578	current	1625645	0	RKY
				TOTAL =	4,96,635/-	

संलग्नक- B

बैंक खाते का विवरण:-

BSA, Bahadarabad

S. N.	Name of the bank	Account Number	Account type (saving or current)	Balance as on 31.12.2020	Total interest earned (upto 31.12.2020) Rs	Purpose to open the Account
1	IDBI BANK, BAHADARABAD, HW	1769 1040 0002 3728	SAVING	6335643	530293	NMSA (RAD)
2	ALLAHABAD BANK	5049 1071 728	SAVING	31874	14660	PKVY
3	ALLAHABAD BANK	5038 1739 964	SAVING	3250360	384023	PMKSY
4	ALLAHABAD BANK	5011 8286 520	SAVING	23358649	1628035	SMAM, BEEJ GRAM, JEVIK
5	ALLAHABAD BANK	2011 7952 479	SAVING	6742237	824472	NFSM
				TOTAL =	33,81,483/-	

बैंक खाते का विवरण:-

BSA, Roorkee

S. N.	Name of the bank	Account Number	Account type (saving or current)	Balance as on 31.12.2020	Total interest earned (upto 31.12.2020) Rs	Purpose to open the Account
1	IDBI ROORKEE	0206 1040 0015 4284	SAVING	298977	17630	SEED VILLAGE
2	SBI LANDHAURA	3572 9718 800	SAVING	917544	31370	JAIVIK
3	SBI LANDHAURA	3312 2705 916	SAVING	350000	241820	RASHTREEY SUKSHM MISHAN YOJNA EVAM ANYA
4	BOB ROORKEE	4507 0100 0041 33	SAVING	16741985	884891	SMAM
5	BOB ROORKEE	4507 0100 0037 97	SAVING	7555323	608821	PMKSY
6	BOB ROORKEE	4507 0100 0041 31	SAVING	10130492	215829	NMSA
7	BOB ROORKEE	4507 0100 0041 32	SAVING	7394503	198350	NFSM
				TOTAL =	21,98,711/-	

भाग-2 "ब"

<u>प्रस्तरः03:-</u> रु0 32130/- का आधिक्य भुगतान।

उत्तराखंड राज्य में कृषकों द्वारा जेवीक खेती करने हेतु परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। कार्यालय के परंपरागत कृषि विकास योजना के वर्ष 2018-19 से संबन्धित अभिलेखों की विस्तृत जाँच में पाया गया कि कृषि निदेशालय, उत्तराखंडके पत्रांक संख्या कृ0नि0/5596/कृ0र0/पूर्ति/रसा0क्रय/2017-18 दिनांक 06/11/2017 द्वारा बायोपेस्टीसाइड्स क्रय हेतु विभिन फर्मों से अनुबंध किए गए थे। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में बायोपेस्टीसाइड्स क्रय से संबन्धित अभिलेखों की विस्तृत जाँच में पाया गया कि निदेशालय द्वारा मै0 श्री राम सालवेंट एंड एक्सट्रैक्शन प्रा0 लिमि0 जसपुर के साथ अनुबंध में रसायन के बेसिक मूल्य के ऊपर जीएसटी अलग से गणना करते हुए दरें निर्धारित कि गयी थी। आगे जाँच में यह पाया गया कि उपरोक्त फर्म द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी को बिल संख्या 16018 दिनांक 06-12-2018 जारी करते समय अनुबंध में दी गयी बेसिक मूल्य से अधिक मूल्य की गणना करते हुए बिल जारी किया गया जिस कारण इकाई द्वारा बढ़ी हुई बेसिक मूल्य के ऊपर जीएसटी की गणना करते हुए रु0 32130.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	**रसायन का नाम**	**अनुबंध में जारी बेसिक मूल्य**	**बिल मे जारी बेसिक मूल्य**	**कुल भुगतान की गयी राशि (12% जीएसटी सहित)**	**एक्चुअल मे की जाने वाली राशि (12% जीएसटी सहित)**	**अंतर**
1	**Azardirachtin 1500 PPM**	**210.00**	**221.25**	**6,31,890.00**	**5,99,760.00**	**32,130.00**
कुल						**32130.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार ये यह स्पष्ट होता है कि इकाई द्वारा अनुबंध की दर से से अधिक दर पर फर्म को रु0 32130.00 का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि उक्त प्रकरण की जाँच कनरे के बाद यदि फर्म को अधिक भुगतान किया गया होगा तो फर्म से वसूली कर ली जाएगी ।इकाई का इकाई का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है।

अत: फर्म को रु0 32130.00 का अधिक भुगतान करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

<u>प्रस्तर 03:-</u> नमामि गंगे योजना के अंतर्गत योजना के प्रारम्भिक चरण के पूर्ण होने के पूर्व ही रु.115.06 लाख की धनराशि का अनावश्यक रसायन एवं कीटनाशक क्रय कर अवरूद् रखा जाना ।

नमामि गंगे योजना के अंतर्गत शासन द्वारा इकाई को वर्ष 2020-21 के अंतर्गत कुल रु.8,32,00,000/- की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी । उक्त योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रेषित गंगा बेसिन पर बसे ग्रामों में परंपरागत कृषि विकास योजना की नई गाइड लाइन के अनुसार "स्वच्छता एक्शन प्लान ,नमामि गंगे क्लीन अभियान" की कार्ययोजना का कार्यान्वयन किया जाना था तथा योजना का संचालन प्रत्येक जनपद हेतु चयनित सपोर्ट एजेंसी एवं प्रादेशिक परिषद (RC) के माध्यम से कराया जाना था। योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर अप्रोच के आधार पर चयनित गंगा बेसिन पर बसे विकासखंडों के अंतर्गत ग्रामों में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना था । इस निमित्त योजना क्रियान्वयन से पूर्व ग्रामों का चयन कर लाभार्थी का चयन किया जाना था, जिसके आधार पर क्लस्टर का गठन किया जाना था । पाँच कृषक समूहों में से एक लीड रिसोर्स पर्सन का चयन कर उसके माध्यम से योजना के अंतर्गत कार्यमदों का संचालन किया जाना था । सपोर्ट एजेंसी के प्रमुख कार्य क्लस्टर का गठन, कृषकों हेतु एक्स्पोसर भ्रमण,तथा जैविक खेती के विशषज्ञों के माध्यम से क्लस्टर स्तर पर कम से कम 03 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था । इसी प्रकार (RC) के माध्यम से जैविक खेती के प्रमाणीकरण के कार्यवाही की जानी थी । उपरोक्त प्रक्रिया के अंतर्गत कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी तथा मुख्य कृषि अधिकारी को पूर्ण रूप से योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदाई बनाया गया था ।

योजना के संचालन हेतु सपोर्ट एजेंसी के रूप में SARG विकास समिति नामक संस्था का चयन किया गया था जिसके साथ माह 09/2020 में योजना के संचालन हेतु अनुबंध किया गया था जिसके अंतर्गत संस्था को जनपद हरिद्वार में 10,000 हेक्टेयर भूमि आच्छादित करना था । अनुबंध के अंतर्गत संस्था को निमन्वत कार्य करने थे -

1-कृषकों को चिन्हिकृत कर क्लस्टर का गठन करना तथा क्लस्टरवार लीड रिसोर्से पेर्सन का चयन । किसानों का पंजीकरण ,किसानवार खेती के विवरण का संकलन ,परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत क्लस्टर मानचित्र मय, जो भी किसान ओर्गेनिक खेती कर रहे हैं के भूमि विवरण सहित ।

2-अनुबंध हस्ताक्षर करने के एक माह के भीतर योजना के अंतर्गत की जाए वाली समस्त गतिविधियों का विवरण ।

3-परियोजना कार्यान्वयन के दौरान नमूने के तौर पर वितरित किया जाने वाला तकनीकी साहित्य एवं बूकलेट्स आदि ।

4-मुख्य कृषि अधिकारी को परियोजना के दौरान की जाने वाली समस्त गतिविधियों की मासिक एवं त्रेमसिक रिपोर्ट ।

5-समस्त लाभार्थियों के बैंक खातों का विवरण जिनको परियोजना के अंतर्गत DBT के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी है।

6- संबन्धित कृषकों के जमीन की मृदा परीक्षण रिपोर्ट

7-किसानों को जैविक उत्पाद न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराना ।

8- योजना के क्रियान्वयन के तीन माह के भीतर PGS पोर्टल पर डाटा अपलोड करना ।

9-कृषि विभाग के साथ MOU हस्ताक्षरित करने के बाद परियोजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि की 5% राशि बैंक गारंटी के रूप में विभाग में जमा कराना ।

उपरोक्त योजना की लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

(i)विभाग द्वारा सपोर्ट एजेंसी के साथ अनुबंध तो किया गया था परंतु बैंक गारंटी के रूप में संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी थी जो इस योजना के मानकों का उल्लंघन था ।

(ii)सपोर्ट एजेंसी द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लगभग 04 माह बाद भी उपरोक्त कार्यों में से एक भी कार्य नहीं किया था अर्थात ना तो लाभार्थियों का चयन कर क्लस्टर बनाए गए थे, ना ही लीड रिसोर्से पेर्सन का चयन किया गया था, ना ही योजना का किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि किए गए थे एवं ना ही जैविक खेती से संबन्धित किसी भी प्रकार का साहित्य कृषकों के मध्य वितरित किया गया । सपोर्ट एजेंसी की उदासीनता के वावजूद भी विभाग द्वारा सपोर्ट एजेंसी को ना तो कोई चेतावनी दी गयी एवं ना ही योजना संबंधी कार्य ना करने पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी थी।

(iii) योजना के अंतर्गत प्रगति दिखाने के उद्देश्य से विभाग को उपलब्ध कराई गयी धनराशि रु.832.00 लाख में से रु.115.06 लाख की धनराशि का रसायन एवं कीटनाशक क्रय किया गया था जो कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के खंड स्तरीय गोदामों में रखा गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि इस संबंध में सपोर्ट एजेंसी से आख्या प्राप्त की जा रही है । कृषकों के पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है उसके पश्चात प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास का कार्य किया जाएगा जिसमे साहित्य /प्रचार-प्रसार सामग्री वितरित की जाएगी । चयनित क्लस्टरों के अंतर्गत रसायन एवं कीटनाशकों के वितरण का कार्य प्रगति पर है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना के प्रारम्भिक चरण में लाभार्थियों का चयन कर क्लस्टर गठन की कार्यवाही की जानी थी । इकाई ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान में कृषकों के पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है अर्थात अभी क्लस्टर गठन का कार्य नहीं हुआ है ऐसे में इकाई का यह कहना कि चयनित क्लस्टरों के अंतर्गत रसायन एवं कीटनाशकों के वितरण का कार्य प्रगति पर है संदेहपूर्ण है । इसके अतिरिक्त सपोर्ट एजेंसी के द्वारा योजना के प्रचार-प्रसार किए जाने , प्रशिक्षण प्रदान किए जाने एवं अन्य किसी भी कार्य को किए जाने का प्रमाण इकाई के पास उपलब्ध नहीं था । DBT के माध्यम से धनराशि वितरण किया जाना साथ नहीं है क्योंकि खाते से सिर्फ रसायनो के क्रय हेतु धनराशि निकाली गयी थी । स्पष्ट है कि योजना के अंतर्गत प्रगति दिखाने के उद्देश्य से रु.115.06 लाख की धनराशि का अनावश्यक रसायन एवं कीटनाशक क्रय किया गया था जो खंड स्तरीय गोदामों में अवरुद्ध रखा गया था ।

अतः योजना के प्रारम्भिक चरण के पूर्ण होने के पूर्व ही रु.115.06 लाख की धनराशि का अनावश्यक रसायन एवं कीटनाशक क्रय कर अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग- 2'ब'

<u>प्रस्तरः04:-</u> कृषकों से मांगपत्र न प्राप्त किया जाना एवं योजना की रु 16.45 लाख की धनराशि का इकाई में अवरुद्ध पाया जाना।

बीज ग्राम योजना का उद्देश्य कृषकों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराना है। धनराशि अवशेष रहने से योजना के उद्देश्यों का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।

A). इकाई कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादराबाद, हरिद्वार में बीज ग्राम योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु 33,96,000/- का बजट आवंटन प्राप्त हुआ था। उक्त आवंटन में से लेखापरीक्षा के अवधि के माह 12/2020 तक धनराशि रु 25,63,873/- ही योजना व्यय की गई थी। अवशेष धनराशि रु 8,32,127/- इकाई में अवरुद्ध रखी हुई पायी गई। अवरुद्ध धनराशि को न तो वापस किया गया एवं न ही लगभग 01 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अन्य इच्छुक कृषकों को योजना से लाभान्वित होने हेतु व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 आवंटन व्यय विवरण:-

(रु में)

वित्तीय वर्ष	आवंटन	व्यय	अवशेष धनराशि
2019-20	3396000	2563873	832127

साथ ही, वित्तीय वर्ष 2019-20 के व्यय वाउचरों एवं संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी किसान द्वारा उक्त योजना के संबंध में कोई माँगपत्र अभिलेखों में संलग्न नहीं पाया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल कितने किसानों द्वारा बीज की माग की गई थी एवं कितने किसान उक्त योजना के लाभ से वंचित रह गए, ज्ञात नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादराबाद, हरिद्वार ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि "भविष्य में माँगपत्र की प्रतियाँ कृषकों से प्राप्त कर संलग्न की जाएगी एवं प्रश्नगत अवशेष धनराशि के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी"। इकाई का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है। धनराशि अवशेष रहने से योजना के उद्देश्यों का सफल क्रियान्वयन नहीं होने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

B). इकाई कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की में बीज ग्राम योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि रु 3233000/- का बजट आवंटन प्राप्त हुआ था। उक्त आवंटन में से लेखापरीक्षा के अवधि के माह 12/2020 तक धनराशि रु 2420609/- ही योजना पर व्यय की गई थी। अवशेष धनराशि रु 812391/- इकाई में अवरुद्ध रखी हुई पायी गई। अवरुद्ध धनराशि को न तो वापस किया गया एवं न ही लगभग 01 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अन्य इच्छुक कृषकों को योजना से लाभान्वित होने हेतु व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 आवंटन व्यय विवरण:-

(रु में)

वित्तीय वर्ष	आवंटन	व्यय	अवशेष धनराशि
2019-20	3233000	2420609	812391

साथ ही, वित्तीय वर्ष 2019-20 के व्यय वाउचरों एवं संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी किसान द्वारा उक्त योजना के संबंध में कोई माँगपत्र अभिलेखों में संलग्न नहीं पाया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल कितने किसानों द्वारा बीज की माग की गई थी एवं कितने किसान उक्त योजना के लाभ से वंचित रह गए, ज्ञात नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि "भविष्य में माँगपत्र की प्रतियाँ कृषकों से प्राप्त कर संलग्न की जाएगी एवं प्रश्नगत अवशेष धनराशि के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी"। इकाई का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है। धनराशि अवशेष रहने से योजना के उद्देश्यों का सफल क्रियान्वयन नहीं होने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

अतः कृषकों से मांगपत्र न प्राप्त किये जाने एवं योजना की कुल धनराशि रु 16,44,518/- (8,12,391 + 8,32,127) उक्त दोनों इकाइयों में अवरुद्ध पाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की कुल संख्या	भाग 2 अ प्रस्तर संख्या	भाग 2 ब प्रस्तर संख्या	STAN
1	64/ 2008-09	---	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	---
2	464/ 2009-10	----	1	1, 2, 4	1
3	72/2011-12/87	----	1	.....	1
4	19/2013-14	----	.....	1, 2	.....
5	39/2017-18	----	0	1,2	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
64/ 2008-09	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन उपरांत नवीनतम अनुपालन आख्या महालेखाकार लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।			
464/ 2009-10	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन उपरांत नवीनतम अनुपालन आख्या महालेखाकार लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।			
72/2011 -12/87	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन उपरांत नवीनतम अनुपालन आख्या महालेखाकार लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।			
19/2013 -14	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन उपरांत नवीनतम अनुपालन आख्या महालेखाकार लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।			
39/2017 -18	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन उपरांत नवीनतम अनुपालन आख्या महालेखाकार लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य ...

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार (कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादराबाद एवं रुड़की सहित) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: -

a). कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की इकाई की वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के रिकार्ड।

b). मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार इकाई की जिला योजना की वित्तीय वर्ष 2018-19 की सम्पूर्ण मदों की विस्तृत विवरण एवं कार्य योजना पत्रावली।

c). मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार इकाई की वित्तीय वर्ष 2018-19 की जिला योजना के अंतर्गत पीली नदी परियोजना संबन्धित पत्रावली एवं व्यय वाउचर।

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

नाम	पदनाम	अवधि
श्री विकेश कुमार सिंह यादव	मुख्य कृषि अधिकारी	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ एएमजी- I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195" को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I